मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3462

10.08.2026 को उत्तर के लिए

दमन गंगा नदी का जीर्णोद्धार

3462. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दमन गंगा नदी के जीर्णोद्धार और वापी-दमन औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे से संबंधित आदेश पारित किए हैं और यदि हाँ, तो इसके अनुपालन में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उक्त आदेशों के गैर-अनुपालन के क्या, यदि कोई हों, कारण हैं;

(ख) क्या संयुक्त निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बावजूद सीईटीपी/उद्योगों के संचालन की अनुमति देना 'पाल्यूटर पे' और एहतियाती उपाय सिद्धांतों के अनुरूप है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी आधार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फार्मास्युटिकल और रासायनिक उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक, अनिवार्य शून्य तरल निर्वहन (जेडआईडी) और स्वतंत्र तृतीय पक्ष संपरीक्षा निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 2019 के जीर्णोद्धार संबंधी आदेश के कार्यान्वयन के लिए लागत, समय-सीमा और उत्तरदायी एजेंसियों का ब्यौरा देगी तथा वापी-दमन क्षेत्र के लिए समर्पित पारिस्थितिक निधि और जवाबदेही उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): उल्लिखित नदियों के वलसाड-दमण औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के संबंध में न्यायालयों में कई मुकद्मे चल रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में, मूल आवेदन संख्या 95/2018 (प्रधान पीठ), नई दिल्ली अर्थात् आर्यावर्त फाउंडेशन बनाम मैसर्स वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड (सीईटीपी, वापी) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष दायर किया गया था। यह मामला वापी औद्योगिक समूह की 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनुपचारित/आंशिक

रूप से उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल को दमणगंगा नदी, जो दमन में अरब सागर से मिलती है, में छोड़े जाने, दमणगंगा नदी के प्रदूषण तथा उद्योगों एवं सीईटीपी, वापी द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल निकास मानकों के अनुपालन न किए जाने से संबंधित था। दिनांक 11.01.2019 के आदेश द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-अहमदाबाद), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (आईआईटी-गांधीनगर), राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर (नीरी-नागपुर) तथा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) सहित पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, ताकि पर्यावरणीय क्षति की सीमा, पर्यावरण पुनरुद्धार की लागत तथा सीईटीपी एवं प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की व्यक्तिगत जवाबदेही एवं दायित्व का आकलन किया जा सके। तत्पश्चात, माननीय एनजीटी ने दिनांक 28.08.2019 के आदेश द्वारा ₹117.72 करोड़ का पर्यावरणीय प्रतिकर (सीईटीपी पर ₹92.36 करोड़ तथा व्यक्तिगत उद्योगों पर ₹25.36 करोड़) लगाया गया था। उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 9398/2019 [मैसर्स वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड बनाम आर्यावर्त फाउंडेशन एवं अन्य] के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसमें स्थगनादेश दिया गया है तथा मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख): दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीएनएच एवं डीडी पीसीसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी सामान्य अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित अथवा संचालित नहीं है तथा संघ राज्य क्षेत्र में निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है।

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) ने सूचित किया है कि पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन करने पर ही सीईटीपी तथा उद्योगों को संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ग): जीपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप जीपीसीबी द्वारा उत्सर्जन मानक निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा , उद्योगों के स्थान, आकार, उत्पाद प्रोफ़ाइल, प्रदूषण भार, साझा पर्यावरणीय अवसंरचना की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित कारकों के आधार पर जीपीसीबी द्वारा अधिक कठोर उत्सर्जन मानक, जिनमें शून्य द्रव अपशिष्ट निकास (जेडएलडी) तथा स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण शामिल हैं, निर्धारित किए गए हैं।

डीएनएच एवं डीडी पीसीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीएनएच एण्ड डीडी संघ राज्य क्षेत्र के सभी उद्योगों के लिए निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र में सभी उद्योगों के लिए शून्य द्रव अपशिष्ट निकास (जेडएलडी) प्रणाली

के अंतर्गत संचालन करना भी अनिवार्य है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं पर्यावरणीय निगरानी की जाती है।

(घ): जीपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मैसर्स वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड एवं अन्य बनाम आर्यावर्त फाउंडेशन मामले में माननीय एनजीटी का दिनांक 28.08.2019 के आदेश पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिया गया है। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
